

संख्या-३५०। / १५-७-०६-१६(७२९) / २००३

प्रैषक

बाबू राम,
अनु सचिव,
एलर प्रदेश शहर

二〇四

संघिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग
शिखर केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति लिंडार नईदिल्ली।

२०८८ १

विषय - डीप्रत्तेश्वर लालन्द नानेक रक्षा जिल्हारम रोगांशेव, फैजाबाद के ही०बी०एस०५०
नहानिल्ली मे संख्या हुए आनाप्रत्यक्ष प्रमाण इन दिया जाना।

二三

उपर्युक्त विक्रम की ओर अपेक्षा अन्य जगहां पर जारी हुए मुझे यह कहने का विषय हुआ है कि उपर्युक्त संवर्धित विद्यालय को सीठोंदौरेस्टोड़ नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापेक्ष प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार और नियोजित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्युतीय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समव एवं नवीनीकरण कराया

३०४

(२) दिवाली की परोत्तम सज्जों में शिरा निवेशक द्वारा नमित एक सदस्य होगा।

प्रतिवर्षीय कार्यव्य सामग्री न देखा जाएँगे। इसका कारण है कि अनुसंधान जाति/अनुज्ञाति के मेधावी

(३) विद्यालय में कम से कम ५० शिक्षकों की जगह नियुक्त
वक्त्वों को हिए शूरप्रसिद्ध रूपों और उनसे उत्प्रेरणाध्यायिक शिक्षा परिषद्/वेसिक
शिक्षा परिषद् द्वारा हुंसातित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमितरि
भास्क से संबंधित शास्त्र बड़ी लिखा जाएगा।

(4) सरस्या छारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्द्ध में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेम्प्रा बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एज्यूकेशन नेशनलिटी/कॉर्सिल आफ दि इण्हियन स्कूल सटीफिकेट इक्यूमिनेशन नेशनलिटी से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद्वाँ से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ७०प्र०भाष्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समर्पित हो जाएगे।

(5) संरक्षण के शैक्षिक एवं प्रिक्षणीज्ञातर कर्मचारियों का राजकीय सदाचार प्राप्ति शैक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूतों नहीं हिते जायें ।



- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुदान होगा नियृति का ज्ञान उपलब्ध कराए जायें।
- (7) राज्य सरकार इस समझ-समय पर जो भी अधेश निर्गत किये जायें भरण्या उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का निकाई निधींरत प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा;
- (9) एक दृष्टि में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन से बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/नियरल्डन नहीं किया जाएगा।

2- इकत्ते ग्रन्तियों का वालन करना सरकार के लिए अभियाद थोक और यदि किरण समय में पाल्य जाता है तो सेवा दाता उन्हें प्राप्तवाक्य का पालन नहीं किया जा रहा है अधया पालन करने में जितने ग्रन्ति को चूक चा शिक्षालय वर्ती जाती है तो राज्य सरकार इस प्रदल अनुसारि प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भद्रदाय,

(बाबू राम)

अनु सचिव।

पृष्ठांच्छ्या एवं दिनांक त्रैमौ

शतीत्रिपि निम्नतिथित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निवेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संघर्ष शिक्षा निवेशक, फैजाबाद।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।
- 4- निरीक्षक, असंख्य भूमिका विद्यालय दूर्गा, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, डीएसप्पम० लालनस पञ्चिक स्कूल विजयपुरम सुजायोग, फैजाबाद।
- 6- गार्ड दुकु।

आज्ञा से,

(बाबू राम)

अनु सचिव।

